

संदर्भ सं० 3707-3710 / यूपीसीडा/आईए/पालिसी वाल्यूम-17

दिनांक 16-8-19

कार्यालय-आदेश

औद्योगिक मूखण्डों के समयविस्तारण के प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रदत्त अधिकारों में आंशिक संशोधन करते हुए मूखण्ड आबंटन/हस्तांतरण की शर्तों के अनुसार इकाई स्थापना हेतु अनुमन्य समय सीमा के समाप्त होने के उपरान्त मात्र प्रथम 01 वर्ष तक का समयविस्तारण गुण-दोष के आधार पर अपने स्तर से प्रदान किये जाने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धकों/परियोजना अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। उपरोक्तानुसार समयविस्तारण प्राप्त करने हेतु मात्र वही आवंटी/हस्तांतरि अर्ह होंगे जिनके द्वारा निम्न शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया हो -

1. आवंटी द्वारा पट्टाविलेख निष्पादित करा लिया गया हो।
2. आवंटी द्वारा नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो।
3. आवंटी द्वारा आवश्यक प्रपत्रों/देय शुल्क सहित भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया गया हो।

अनुमन्य किये जा रहे समयविस्तारण के शुल्क की गणना कार्यालय आदेश संख्या 2043-46/एसआईडीसी/आईए/पालिसी थॉल्यूम-17 दिनांक 18.12.2018 के प्रस्तर 1(क) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(संजय प्रसाद)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी 


संदर्भ सं०

/यूपीसीडा/आईए/पालिसी वाल्यूम-17

दिनांक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीएसआईडीए, मुख्यालय भवन, कानपुर।
2. उप महाप्रबन्धक (ओ0ओ0)/सहा0 महाप्रबन्धक(ओ0ओ0), यूपीएसआईडीए, मुख्यालय भवन, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीएसआईडीए।
4. प्रनारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीएसआईडीए, मुख्यालय, कानपुर।


(संजय प्रसाद)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी 